

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् की  
तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

डॉ० धन सिंह रावत, मा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 12.10.2017 को सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक की उपस्थिति संलग्नक-1 में अवलोकनीय है। अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं परियोजना निदेशक, रुसा, डॉ० रणबीर सिंह, अपर सचिव, उच्च शिक्षा एवं अपर परियोजना निदेशक डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा मा० उच्च शिक्षा मंत्री तथा सभी सदस्यों के स्वागत तथा रुसा की अवधारणा एवं प्रयोजन से अवगत कराने के उपरान्त बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

**मद संख्या (1)** दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को आयोजित द्वितीय बैठक के निर्णयों की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या का अनुमोदन।

उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् की दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को आयोजित द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि तथा अनुपालन अनुमोदन किया गया।

**मद संख्या (2)** राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की प्रगति।

निर्णय लिया गया कि रुसा की प्रिपेरेटरी ग्रांट से एक बार डाटाबेस तैयार करवाया जाये जिसमें प्रदेश के प्रत्येक शिक्षक, विषयवार तथा महाविद्यालयवार सूचनाएं उपलब्ध हों। प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा वार्षिक आख्या तैयार की जाय। रुसा द्वारा भी वार्षिक आख्या (रिपोर्ट) तैयार की जाय।

**मद संख्या (3)** उच्च शिक्षा परिषद् को संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करना।  
उच्च शिक्षा परिषद् को संवैधानिक निकाय के रूप में प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**मद संख्या (4)** विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक आख्या का प्रकाशन।  
सभी विश्वविद्यालय अपनी-अपनी वार्षिक आख्या (Annual Report) रुसा कार्यालय को उपलब्ध करायें।

**मद संख्या (5)** उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विषय पर सेमिनार।  
निर्णय लिया गया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विषय में दो सेमिनार (एक देहरादून व एक हल्द्वानी में) आयोजित किये जायें। हर जिले में जिला स्तरीय

एक-एक सेमीनार (उच्च शिक्षा से सम्बन्धित विषयों पर) आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

**मद संख्या (6)** प्रदेश के 10 महाविद्यालयों में ई-लाइब्रेरी का प्रस्ताव।  
सभी 10 महाविद्यालयों में नेट-कनेक्टिविटी यथाशीघ्र स्थापित कराते हुए, ई-लाइब्रेरी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या (7)** राज्य उच्च शिक्षा हेतु एम0आई0एस0 प्रस्तावित।  
राज्य में उच्च शिक्षा हेतु सुपरिभाषित, सुनियोजित सूचनाओं को डाटा रूप में संकलित कर एक क्लिक पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए।

**मद संख्या (8)** उच्च शिक्षा में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करना।  
उच्च शिक्षा में सेवा का अधिकार को छात्र-छात्राओं की फीस, अंकतालिकाएँ, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र इत्यादि से जोड़ा जाना चाहिए। प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी सभी प्रकरणों को भी सेवा का अधिकार से जोड़ा जाये। निर्णय लिया गया कि इस हेतु समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों से सुझाव भी मांगे जायें।

**मद संख्या (9)** रुसा के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों एवं व्ययों की कार्योत्तर स्वीकृति।  
रुसा द्वारा वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 30 सितम्बर 2017 तक किये गये सभी कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

**मद संख्या (10)** एन0बी0टी0 एवं उच्च शिक्षा के सहयोग से दिनांक 29.8.17 से 5.9.17 तक आयोजित पुस्तक मेले की कार्योत्तर स्वीकृति।  
पुस्तक मेले की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

**मद संख्या (11)** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

1. केन्द्र सरकार से विभिन्न मंत्रालय जैसे समाज कल्याण, अल्पसंख्यक एवं जनजाति मंत्रालय द्वारा डॉ० भीमराव अम्बेडकर फाउन्डेशन के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु केन्द्र पोषित योजनाओं में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तावों पर कार्य किया जाय। जिसमें छात्र-छात्राओं के साथ प्राध्यापकों के हित के प्रस्ताव भी हों।

2. दिनांक 31 अक्टूबर 2017 को आयोजित 'Run for Unity' प्रोग्राम के बारे में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यह प्रोग्राम सरदार बल्लभ भाई पटेल जी की याद में उच्च शिक्षा विभाग, प्रदेश सरकार तथा युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जायेगा जिसे उत्तराखण्ड के लगभग 188 स्थानों पर किया जाना प्रस्तावित है तथा इसमें जिला स्तर, पंचायत स्तर तथा ब्लाक स्तर पर प्रदेशवासी (लगभग 5.30 लाख लोग) प्रतिभाग करेंगे।
3. रुसा द्वारा आच्छादित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में निर्माणाधीन भवनों की गुणवत्ता की जाँच कराई जाय।
4. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सृजित पदों (पदेन पदों को छोड़कर) पर उपनल/पी0आर0डी0 से कार्मिकों की नियुक्ति अतिशीघ्र की जाये।
5. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रदेश में शोध एवं नवप्रवर्तन पर कार्य किया जाय तथा इस हेतु रुसा में नये प्रस्ताव लाये जायें।
6. अक्टूबर माह की 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, नई केदार नगरी के शिलान्यास हेतु पधार रहे हैं जिसमें प्रदेश के कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर तक के सभी एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, छात्र-छात्राएँ तथा अन्य संगठन व संस्थायें स्वेच्छापूर्वक प्रतिभाग करेंगे।
7. राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों में छात्र ट्यूशन फीस बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे उसी महाविद्यालय को स्वच्छ रखने पर तथा सुदृढीकरण पर खर्च किया जा सके।
8. अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि निकट भविष्य में देश भर के कुलाधिपतियों का एक शिक्षा महाकुंभ कराया जायेगा।
9. अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में अन्तर विश्वविद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया जायेगा।
10. उच्च शिक्षा उन्नयन हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रदेश के सभी छात्र संगठनों के साथ एक वृहद बैठक कराने के निर्देश दिये।
11. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में नैक प्रत्यायन कराने के लिए दो राज्य स्तरीय निरीक्षण दलों का गठन किया जाय जो प्रथम चरण में गढ़वाल एवं कुमाँऊ क्षेत्र के 10-10 महाविद्यालयों में आवश्यक संसाधनों की एक रिपोर्ट रुसा परियोजना निदेशालय को उपलब्ध करायें तथा महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन कैसे करायें इसकी जानकारी दें।

12. उत्तराखण्ड राज्य हिमालयी राज्य है और इसकी विषम प्राकृतिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को केन्द्र से नैक हेतु मानकों में शिथिलता प्रदान करने के लिए निवेदन किया जाय।

धन्यवाद प्रस्ताव उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

18/11/2017  
अपर मुख्य सचिव एवं  
परियोजना निदेशक, रुसा  
उत्तराखण्ड शासन

परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

(21) 21/20 ई0सी0 रोड, देहरादून 86-02-2018  
संख्या : 641 (47) / रुसा / 2017-18 दिनांक : दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य प्रमुख निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं परियोजना निदेशक, 'रुसा', उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख निजी सचिव, अपर सचिव, उच्च शिक्षा एवं अपर परियोजना निदेशक, रुसा उत्तराखण्ड।
5. संयुक्त सचिव, मा0स0वि0म0 (उच्च शिक्षा विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. कुलपति, उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 5 राज्य विश्वविद्यालय।
7. उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् के समस्त सदस्य।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी नैनीताल।
9. नोडल अधिकारी, ए0आई0एस0एच0ई0 एवं 'नॉक', उत्तराखण्ड।
10. नोडल अधिकारी, रुसा, उत्तराखण्ड।

Asm  
31/10/18  
(संजीत कुमार सिन्हा)

अपर परियोजना निदेशक, रुसा